सं0–769 /उन्तीस/04–2(20पे0)/2004

प्रेषक,

कुँवर सिंह,
अपर सचिव
उत्तरांचल शासन ।

सेवा में,

मुख्य महाप्रबन्धक
उत्तरांचल जल संस्थान,
देहरादून

पेयजल अनुभाग–   देहरादून: दिनांक: 29 मार्च, 2005

विषय:–वित्तीय वर्ष 2004–05 में ग्रामीण पेयजल योजनाओं के जीर्णोद्धार / पुनर्गठन एवं सुदृढ़ीकरण हेतु वित्तीय स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके कार्यालय पत्रांक 4341, दिनांक 22.03.2005 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय चालू वित्तीय वर्ष 2004–05 में ग्रामीण पेयजल योजनाओं के जीर्णोद्धार/पुर्नगठन/एवं सुदृढ़ीकरण हेतु निम्नवत जनपदवार विवरणानुसार रू0 966.57 लाख (रू0 नौ करोड़ छियासठ लाख सत्तावन हजार मात्र) की धनराशि को संलग्न बी0एम–15 के विवरणानुसार बचतों से पुर्नविनियोग द्वारा व्यावर्तन कर व्यय हेतु आपके निर्वतन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :–

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0 सं0	जनपद का नाम	अनु0 धनराशि	अवमुक्त की जा रही धनराशि
1	देहरादून	124.00	124.00
2	पौड़ी	39.05	39.05
3	चमोली	116.75	116.75
4	रूद्रप्रयाग	65.00	65.00
5	टिहरी	71.65	71.65
6	उत्तरकाशी	55.50	55.50
8	नैनीताल	66.70	66.70
9	उधमसिंह नगर	32.00	32.00
10	अल्मोड़ा	194.50	194.50
11	पिथौरागढ़	151.67	151.67
12	बागेश्वर	44.00	44.00
13	चम्पावत	05.75	05.75
	योग:–	966.57	966.57

2– स्वीकृत धनराशि मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तरांचल जलसंस्थान के हस्ताक्षर तथा जिलाधिकारी, देहरादून के प्रतिहस्ताक्षर युक्त बिल देहरादून कोषागार में प्रस्तुत कर आहरित की जायेगी ।

3– स्वीकृत धनराशि का व्यय उन्ही कार्यो पर किया जायेगा जिनके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है । स्वीकृत धनराशि ऐसे कार्यो पर कदापि व्यय न की जाय जिनके सम्बन्ध में तकनीकी स्वीकृति नही है अथवा जो विवाद ग्रस्त हों । दैवीय आपदा से क्षतिग्रस्त योजनाओं के पुनर्स्थापना/पुनर्गठन हेतु वित्त पोषण यदि दैवीय आपदा से हो गया हो तो क्षतिग्रस्त योजनाओं में प्राविधानित धनराशि का उपयोग अन्य योजनाओं के सुदृढ़ीकरण पर शासन की अनुमति से किया जायेगा।

4– व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल फाईनेन्शियल हैण्डबुक अथवा अन्य स्थायी आदेशों के अंतर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उसमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय। निर्माण कार्यो पर व्यय करने से पूर्व आगणनों एव विस्तृत आगणनों पर प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति के साथ–साथ सक्षम प्राधिकारी की प्राविधिक स्वीकृति भी अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

5. निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर विशेष बल दिया जाय गुणवत्ता से सम्बन्धित सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता का ही होगा ।

6– प्रस्तावित कार्यो को यथासम्भव ग्रीष्मऋतु से पूर्व सम्पन्न कराना सुनिश्चित करते हुए कार्यो की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति के मासिक/त्रैमासिक विवरण नियमित रूप से शासन को उपलब्ध कराया जाय। ग्रीष्मकाल के समाप्त होने पर कार्यवार व्यय विवरण व कार्य की भैतिक प्रगति का विवरण शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

8– यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि जनपदवार उन्ही योजनाओं पर धनराशि व्यय की जाए जिनके लिए स्वीकृति दी जा रही है। एक योजना की धनराशि दूसरी योजना पर कदापि व्यय नहीं की जायेगी यदि ऐसा पाया जाता है तो सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता/विभागाध्यक्षत का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा।

10– उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2004–05 में अनुदान सं0–13 के अंतर्गत लेखाशीर्षक "2215– जलापूर्ति तथा सफाई–01 – जलपूर्ति– आयोजनागत – 102 –ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम –91–जिलायोजना –02– ग्रामीण पेयजल तथा जलोत्सारण योजनाओं का जीर्णोद्धार –20–सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता के नामे" डाला जायेगा

11– यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय सं 1176/वि0अनु0–3/2005 दिनांक– 29 मार्च, 2005 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(कुँवर सिंह)
अपर सचिव

संख्या–769/(1)/उन्नीस/04–2–(20पे0)/2004 तद्दिनांक

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– महालेखाकार, उत्तरांचल,देहरादून।

2– मण्डलायुक्त गढ़वाल/कुमायूँ पौड़ी/नैनीताल।

3– जिलाधिकारी, देहरादून/समस्त जनपद ।

4– महाप्रबन्धक, उत्तरांचल जल संस्थान, /पौडी/नैनीताल ।

5– कोषाधिकारी, देहरादून। ।

6– अध्यक्ष, उत्तरांचल जल संस्थान ,देहरादून ।

7– प्रबन्ध निदेशक, उत्तरांचल पेयजल निगम, देहरादून ।

8– वित्त अनुभाग–3/नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तरांचल शासन, देहरादून।

9– निजी सचिव/मा0 मुख्यमंत्री/मा0 पेयजल मंत्री, उत्तरांचल ।

10– निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क निदेशालय, देहरादून।

11– निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तरांचल सचिवालय परिसर, देहरादून ।

आज्ञा से

(कुँवर सिंह)

अपर सचिव

आयोजनागत

प्रभारी - मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तरांचल जल संस्थान, देहरादून।
विभाग - पेयजल विभाग, उत्तरांचल शासन।

धनराशि (रु० हजार में)

अनुदान तथा लेखाशीर्षक	मानक मदवार उपलब्ध विनियोग	वित्तीय वर्ष के अवशेष अवधि अनुमानित व्यय	बचत (सरप्लस)	लेखाशीर्षक जिसमें धनराशि पुनर्विनियोजित किया जाना है	पुनर्विनियोजन के बाद स्तम्भ-5 की कुल धनराशि	पुनर्विनियोजन के बाद स्तम्भ-2 में अवशेष राशि	पुनर्विनियोजन के बाद स्तम्भ-1 के अवशेष धनराशि।
1	2	3	4	5	6	7	8
2215-जलापूर्ति तथा सफाई				2215- जलापूर्ति तथा सफाई			(अ) भारत सरकार से धनराशि सीधे उपलब्ध होने के कारण प्राविधान में बचत हुई। (ब) वास्तविक आवश्यकता के कारण।
01-जलापूर्ति-अंशदानमात्र				01- जलापूर्ति-अंशदानमात्र			
102-ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम				102- ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम			
01-केन्द्रीय आयोजनागत / केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना				91- जिला योजना			
07-त्वरितवर्धित कार्यक्रम (90% के०स०)				02-ग्रामीण पेयजल तथा जलोत्सारण योजनाओं का सौन्दर्यीकरण			
20-सहायक अनुदान / अंशदान / राजसहायता 137675	–	–	137675(अ)	20- सहायक अनुदान / अंशदान / राजसहायता 96657(ब)	342379	41218	
137675	–	–	137675	96657	342379	41218	

प्रमाणित किया जाता है कि पुनर्विनियोग में बजट मैनुअल के परिच्छेद 150,151,155,156 में उल्लिखित नियमों का उल्लंघन नहीं हुआ है।

(कुंवर सिंह)
अपर सचिव

उत्तरांचल शासन
वित्त अनुभाग-3
संख्या - 1176(क)/वित्त अनु0-3/2005
देहरादून : दिनांक 29 मार्च 2005
पुनर्विनियोजन स्वीकृत

(कं0सी0मिश्र)
अपर सचिव वित्त

सेवा में,
महालेखाकार
उत्तरांचल, देहरादून

संख्या 769(2)/उन्तीस/05-2-(20पे0)/2004, तद दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -
1-कोषाधिकारी/ जिलाधिकारी, देहरादून। 2 वित्त अनुभाग-3, उत्तरांचल शासन।

(कुंवर सिंह)
अपर सचिव